नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , बनेडा जिला शाहपुरा (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.)

न्यायालय / कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बनेड़ा–शाहपुरा सत्यमेव जयते

प्रकरण संख्या 107 / 2020

अनवान

1. रतन पिता भागीरथ कुम्हार उम्र वयस्क निवासी – बामणिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
2. नारायण पिता भागीरथ कुम्हार उम्र वयस्क निवासी – बामणिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

प्रार्थी गण

बनाम

1. तुलसी पत्नी काशीराम खटीक उम्र वयस्क निवासी – बामणिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. सजना पत्नि माधुलाल जाट उम्र वयस्क निवासी – बामणिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. सोहन पिता नन्दराम नाई उम्र वयस्क निवासी – बामणिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
4. मृतक गीता पत्नि कैलाश तेली जरिये वारिसान विपक्षी संख्या 05
5. रामू पत्नि रूपा तेली उम्र वयस्क निवासी – बामणिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6. उदयलाल पिता धन्ना तेली उम्र वयस्क निवासी – बामणिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
7. रतनलाल पिता धन्ना तेली उम्र वयस्क निवासी – बामणिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
8. मु. भोली पत्नि धन्ना तेली उम्र वयस्क निवासी – बामणिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
9. मांगी पुत्री धन्ना तेली उम्र वयस्क निवासी – बामणिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
10. मगनीदेवी पत्नि उदयलाल जाट उम्र वयस्क निवासी – बामणिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
11. बी.आर.जी.बी. बैक शाखा बनेडा जरिये मेनेजर बी.आर.जी.बी. बैक भाखा बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
12. मु.वि.क. ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमीटेड भाखा बामणिया जरिये मेनेजर मु.वि.क. ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमीटेड शाखा बामणिया तहसील बनेडा
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब , बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

अप्रार्थी गण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 – (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित – 1. श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 31 / 07 / 2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी द्वारा एंक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 – (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है ।

न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा बामणिया पटवार हल्का बामणिया भू.अभि.नि. सरदारनगर तहसील बनेडा स्थित आराजी नम्बर 952 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा जो नवीन जमाबन्दी मे खसरा संख्या 952 रकबा 0.3794 हैक्टेयर प्रार्थी गण के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है ।

एंव प्रार्थी गण के स्वंय के खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतू कोई स्थायी चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से अडौसी –पडौसीयो से मिन्नत करके अपनी स्वंय की आराजी तक पहुंचना पडता है । पूर्व मे विपक्षीगणो की खातेदारी भूमि मे होकर आता जाता रहा है । परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट किये जाने से अप्रार्थीगणो की आराजी नम्बर 918 , 947 , 919 , 946 , 945 के मेर के सहारे–सहारे रास्ता कायमी बाबत् प्रकरण प्रस्तुत किया गया है ।

प्रार्थनापत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो सम्मन जारी किये गये । न्यायालय द्वारा जारी सम्मनो के बाद तामिल लोटकर प्राप्त किन्तु न्यायानय मे उपस्थित नही हुआ । अप्रार्थी गण बावजुद सुचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये ।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार बनेडा को पत्र लिखा जाकर निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेर्काड एंव मोके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतू प्रस्ताव भिजवाया जावे ।

प्रकरण मे तहसीलदार बनेडा क्रंमाक/राजस्व/2021/801 दिनांक 15–04–2021 को रास्ते हेतू निम्न जवाब प्रस्तुत किया है –

1. ग्राम बामणिया की आराजी नम्बर 952 खातेदार रतन , नारायण पिता भागीरथ कुम्हार के नाम से दर्ज रेर्काड है ।
2. वादी अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 952 में पहुचंने बाबत् आ0न0 945 , 947 , 948 , 950 से रास्ता चाहा है ।
3. प्रस्तावित रास्ता आराजी नम्बर 945 रकबा 0.7714 हैक्टेयर मे से 214.50 फीट लम्बा व 16.50 फीट चोडा यानि 329.23 वर्गमीटर , आराजी नम्बर 947 रकबा 0.5817 हैक्टेयर मे से 313.50 फीट लम्बा व 16.50 फीट चोडा यानि 481.18 वर्गमीटर , आराजी नम्बर 948 रकबा 0.4553 हैक्टेयर से 264 फीट लम्बा व 16.50 फीट चोडा यानि 405.20 वर्गमीटर तथा आराजी नम्बर 950 रकबा 0.4047 हैक्टेयर मे से 225.50 फीट लम्बा व 16.50 फीट चोडा यानि 392.54 वर्गमीटर कुल किता 04 रकबा 2.2131 मे से रास्ते का कुल रकबा 1608.15 वर्गमीटर भूमि रास्ते के भूमि काम आयेगी ।
4. भु0अ0नि0 के द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त रास्ते मे काम आने वाली भूमि के आराजी नम्बर आंशिक रूप से वाद पत्र मे अंकित नही है ।
5. प्रकरण मे प्रस्तावित भूमि की प्रचलित डीएलसी दर की प्रति संलग्न है ।

तहसीलदार बनेडा द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत् रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है । वकील प्रार्थी के बहस मे कथन किया है कि नक्शे मे प्रस्तावित आराजी नम्बर 948 में जे से आई अंकित आराजी नही चाहिये व शेष नक्शे मे प्रस्तावित रास्ते से सहमत है अतः प्रार्थी को इसे भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है । राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ मे जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 – (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबधि नया कानून बनाने के पीछे सपष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वंय की खातेदारी मे पहुचंने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे । सुखाचार अधिनियम से भी सपष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारी की भूमि मे से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थी को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है ।

मेने पत्रावली का उधोपान्त अध्ययन एंव अवलोकन किया है । अप्रार्थी को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो तथा हल्का पटवारी द्वारा मोजा बामणिया की स्थित आराजी नम्बर आराजी नम्बर 947 , 950 , 945 के मेर के सहारे–सहारे रास्ता कायमी हेतू यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है ।

न्यायालय कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बनेड़ा–शाहपुरा सत्यमेव जयते

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने से मौजा बामणिया पटवार क्षेत्र बामणिया की आराजी नम्बर 952 रकबा 0.3794 हैक्टेयर मे आने जाने के लिए आराजी नम्बर 945 रकबा 0.7714 हैक्टेयर मे से 214.50 फीट लम्बा व 16.50 फीट चोडा यानि 329.23 वर्गमीटर , आराजी नम्बर 947 रकबा 0.5817 हैक्टेयर मे से 313.50 फीट लम्बा व 16.50 फीट चोडा यानि 481.18 वर्गमीटर , आराजी नम्बर 950 रकबा 0.4047 हैक्टेयर मे से 225.50 फीट लम्बा व 16.50 फीट चोडा यानि 392.54 वर्गमीटर कुल किता 03 रकबा 1.7578 हैक्टेयर मे से रास्ते का कुल रकबा 1202.95 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड मे अमलदरामद तहसीलदार बनेडा द्वारा किया जावे । यह आदेश तब ही प्रभावित होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण तहसीलदार बनेडा के यहां प्रचलित डीएलसी की दुगनी राशि अप्रार्थीगण को अपने हक हिस्से अनुसार अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे ।

निर्णय आज दिनांक 31-07-2024 को सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो ।

न्यायालय/कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बनेड़ा-शाहपुरा
सत्यमेव जयते

श्रीकान्त व्यास
उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला शाहपुरा